कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)

क्रमांकः स्था. / 2018 / 285 दिनांक : 31-10-18

–: कार्यालय आदेश :–

राजाखेड़ा न्यायक्षेत्र के जिला मुख्यालय के लिए वर्ष 2019 हेतु साधारण नियम दाण्डिक 1980 के नियम 257 के तहत फौजदारी शपथ आयुक्त, साधारण नियन दीवानी 1986 के नियम 74 के तहत दीवानी शपथ आयुक्त [illegible] निम्नलिखित अभिभाषकगण को [illegible] नियुक्त किया जाता है:–

क्र.स.	नाम अधिवक्ता	एनरोलमेंट नम्बर
फौजदारी शपथ आयुक्त		
1.	श्री बर्णेन्द्र कुमार	आर / 991 / 2015
2.	श्री बालकिशन जादौन	आर / 1755 / 2011
3.	श्री पंकज कुमार जैन	आर / 2163 / 2009
दीवानी शपथ आयुक्त		
1.	श्री होतमसिंह जादौन	आर / 856 / 2005

नोटः–

1. शपथ आयुक्त उसी भाषा में शपथ पत्र तस्दीक करेंगे जिसे शपथकर्ता जानता हो। सामान्यतय शपथ पत्र हिन्दी मे होंगे।
2. शपथ आयुक्त अपना समय इस प्रकार तय करेंगे कि उनमें से कुछ न्यायालय समय में न्यायालय परिसर में अवश्य उपलब्ध रहे।
3. फौजदारी शपथ आयुक्त सामान्य नियम (दाण्डिक) 1980 के नियम 258 के अन्तर्गत एवं दीवानी शपथ आयुक्त सामान्य नियम (दीवानी) 1986 के नियम 74(3) के अन्तर्गत अपना–अपना एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें तस्दीक किये जाने वाले शपथ पत्रों का संक्षिप्त विवरण इन्द्राज करेंगे तथा इस रजिस्टर का समय समय पर निरीक्षण करायेंगे।
4. फौजदारी एवं दीवानी शपथ आयुक्त इस न्यायालय द्वारा तैयार की गई प्राधिकारिक मुद्रा का प्रबंध स्वयं की व्यय पर करेंगे व शपथ आयुक्त न रहने की दशा में मुद्रा को न्यायालय को वापस करेंगे, [illegible]
5. फौजदारी शपथ आयुक्त साधारण नियम (दाण्डिक),1980 के नियम 258 के अधीन प्रत्येक शपथ पत्र के लिए 10/– रूपये एवं दीवानी शपथ आयुक्त साधारण नियम (दीवानी), 1986 के नियम 74(2) के तहत 15/–चार रूपये का फीस प्रभार लेंगे।

31/10/18
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर
दिनाकः– 31-10-18

क्रमांक :–स्था. / 2018 / 6366 – 6369
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
3. श्रीमान् अध्यक्ष बार संघ, राजाखेड़ा को प्राधिकारिक मुद्रा का नमूना एवं रजिस्टर की पेशानी की प्रति सहित।
4. आदेश / संबंधित पत्रावली

31/10/18
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर